

जयपुर विकास प्राधिकरण

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नहेरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक - F-()JDA/OSD(RM)/15-16/D-1077

दिनांक- 10.7.15

कार्यालय आदेश

जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में स्थित रिंग रोड परियोजनाओं से लगते हुए क्षेत्र के लिए आवासीय आरक्षित दर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

क्र. सं.	जोन सं.	रिंग रोड क्षेत्र	चैनज क्षेत्र	ग्राम	आवासीय आरक्षित दर (रुपए प्रति वर्ग मीटर)
1.	10 एवं 10ए	आगरा रोड से प्रारम्भ होकर 2 किमी दक्षिण की ओर (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	0.0 से 2.0 किमी	बगराना, लखेसरा, खोरी रोपाड़ा	12000.00
2.	11	अजमेर रोड के दक्षिण की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	44.9 से 46.9 किमी	हसमपुरा, भांकोटा, चिमनपुरा	12000.00
3.	11	फागी रोड से पश्चिम दिशा की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	33.00 से 34.00 किमी	अचरावाला	10000.00
4.	14	टोंक रोड से पश्चिम दिशा की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	19.8 से 21.8 किमी	अजयराजपुरा, हेमा की नांगल, मानपुरा नांगल्या, वीलवा, रानीपुरा	12000.00
5.	14	फागी रोड से पूर्व दिशा की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	32.0 से 33.0 किमी	श्री रामपुरा, रातल्या	10000.00
6.	14ए	टोंक रोड से पूर्व दिशा की ओर प्रारम्भ होकर 2 किमी (दोनों ओर विकसित कॉरिडोर)	17.8 से 19.8 किमी	प्रहलादपुरा अन्दर की सीमा, शिवदासपुरा बाहर की सीमा	12000.00

- उक्त दरें आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से पुष्ट हैं, जो तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती है।
- वाणिज्यिक आरक्षित दर आवासीय आरक्षित दर की 200% एवं संस्थानिक आरक्षित दर आवासीय दर की 125% होगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिये एक से अधिक आरक्षित दर लागू हो रही है तो अधिकतम आरक्षित दर को मानते हुये गणना की जावेगी।
- यदि किसी भूखण्ड के लिये आरक्षित दर निर्धारण में विवेचना की स्थिति हो तो आयुक्त जयपुरा द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर